निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 28 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन परियोजना **निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून के माह 09/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25/07/2018 से 01/08/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा, श्री एस. एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी श्री मनोज कुमार (पर्यवेक्षक) एवं श्री शेखर वर्मा (लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 21/09/2016 से 28/09/2016 तक...........वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ....

(अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015-16	N.A.	NIL	127.64	126.63	30000.00	29972.00	-	1.00		
2016-17	N.A.	NIL	136.16	130.00	31000.00	25269.00	-	6.15	-	-
2017-18	N.A.	NIL	158.12	157.91	28500.00	28066.77	-	0.207	-	-
2018-19 (6/2018 तक)	N.A.	NIL	146.52	86.21	2000.00	387.00	-	60.31	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटन .... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः.................

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह (लागू नहीं) को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया । मुख्यालय होने से कोई कार्य चयनित नहीं किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में दिनांक ....से .... का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमशः माह........तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह........ तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- ` N.A.

   भाग द्वितीय- ` N.A.

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष .... के अंत में

1.नकद परिशोधन- NA
2.सामग्री क्रय- NA
3.निक्षेप पंजिका- NA
4.प्रकीर्ण अग्रिम- NA
5.भंडार- NA

<u>भाग दो 'अ'</u>

प्रस्तरः1- ₹ 68.47 लाख श्रमिक उपकर की कटौती/वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों (इसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है) में नियोजित श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं तत्संबधी राज्य नियमावली, 2005 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ठ - 'क' के अनुसार हितलाभ दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के पत्रांक 628/VIII/10-84 (श्रम)/2005 दिनांक 07 अप्रैल, 2010 को किया गया। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएंगे। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पदनाम से बनाया जाएगा और बैंक ड्राफ्ट को श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी को प्रेषित किया जाना है। उक्त लिखित अधिनियम एवं तत्सबंधित नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तराखण्ड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग पत्रांक 474 (2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 देहरादून, दिनांक 17 मई 2012 को अधिसूचना जारी किया गया था, जोकि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित किया गया था कि शासनादेश की प्रति समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध करावें।

नैनीताल जिले में विभिन्न(6) मार्गो के सुधारीकरण हेतु, उत्तराखंड शासन द्वारा USRIP-3 के अंतर्गत रु 60.95 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (04/2013)। कार्यो की तकनीकी स्वीकृति परियोजना निदेशक,पीएमयु,एडीबी, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी थी (जून 2012) ।जिसके निष्पादन हेतु पैकेज के अंतर्गत एक अनुबंध (13/PD/PMU/2014 dated 13.01.2014) गठित किया गया था **अनुबंध की शर्त सख्या 14.1 के अनुसार- The contractor shall pay all taxes, duties and fees required to be paid during the work under this contract and the contract price shall not be adjusted for any these costs except as stated in Sub clause 13.7. Further as per clause 1.1.13 of the contract the Employer and the Contractor were to comply all applicable laws.**

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय परियोजना निदेशक, मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबंधन ईकाई, ए.डी.बी. लोक निर्माण विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि नैनीताल जिले में विभिन्न मार्गो के सुधारीकरण हेतु अनुबंध संख्या-13/PD/PMU/ADB/2013 दिनांक 23-01-2014, ठेकेदार M/S wood hill infrastructure Ltd. के साथ ₹ 664381593.50 (66.44 करोड़) का गठित किया गया था। कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को कुल ₹ 68.47 crore का भुगतान किया जा चुका था। वर्तमान में अनुबंध के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका था एवं कार्यो के completion certificates भी जारी हो चुके थे । परन्तु, उक्त नियमानुसार ठेकेदार को भुगतानित धनराशि में से एक प्रतिशत श्रमिक उपकर, ₹ 68.47 लाख, की कटौती कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना था लेकिन विभाग के द्वारा उक्तलिखित अनुबंध के सापेक्ष कोई धनराशि श्रमिक उपकर के रूप में कटौती नहीं की गई थी । ठेकेदार से एक प्रतिशत श्रमिक उपकर की वसूली ना किये जाने से विभाग द्वारा उक्त शासनादेशो का उल्लंघन तो किया ही गया साथ ही अनुबंध की शर्तो का भी उल्लंघन किया गया ।

प्रकरण इंगित करने पर विभाग द्वारा उत्तर में बताया कि "**गठित अनुबंधों में मानक कटौतियो का समुचित प्रावधान है खंड स्तर पर अधिशासी अभियंता/ खंडीय लेखाकार का दायित्व है कि अनुबंध की शर्तानुसार समस्त कटौतियो का नियमानुसार पालन कराये । अतः अनुबंध में लेबर सेस हेतु समुचित प्रावधान होने के बावजूद खंड विशेष में इसकी कटौती ना किया जाना खंडीय चूक (omission) प्रतीत होती है**" । विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि अनुबंध की शर्तो के अनुसार एवं उक्त लिखित नियमानुसार श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की गई है, **यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कार्यो के completion certificates भी जारी हो चुके थे एवं ठेकेदार से श्रमिक उपकर की कटौती की संभावनाए न के बराबर थी।**

अतः ₹ 68.47 लाख श्रमिक उपकर की कटौती/वसूली न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर **1** :– **वन भूमि की** उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना **अपूर्ण कार्य पर ` 142.05** लाख **व्यय एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग पर रु. 218.20 लाख** का **परिहार्य** व्यय।

वित्तीय नियम यह प्रावधानित करते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि सम्यक रूप से हस्तान्तरित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए तथा वनभूमि अधिनियम 1980 के अनुसार भी वन भूमि पर पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कार्य नही कराया जा सकता ।
उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत (USRIP-3) जिला उधमसिंह नगर मे 7 मार्गो की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे से रुद्रपुर रा.मा.-74 किमी॰ 239 सिरसा मोड (कैम्प रोड) से शक्ति फार्म तक 7 मीटर चौड़ाई के ग्रामीण मार्ग (किमी0 0.00 से 22.018 तक) के कार्य हेतु रू. 5478.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–292 / |||–3 / 2012–903(ए०डी०बी०) / 08 **टी0सी0** दिनांकः 18–06–2012 **को** प्रदान की गई थी।

खण्ड द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन पर उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति परियोजना निदेशक मुख्य अभियंता /पी० एम० यू० ए०डी०बी० लोक निर्माण विभाग देहरादून के द्वारा रू. 5478.25 लाख की दिनांक 17 / 04 / 2013 **को** प्रदान की गई थी, तथा निर्देशित किया गया था कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व वन भूमि से संबन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, ताकि वन भूमि नियमो का उल्लंघन न होने पाये। सम्प्रेक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 14.856 है॰ वन भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही कार्य हेतु अनुबंध संख्या 21/PD/पीएमयू/एडीबी/2014 दिनांक: 18.09.2014 गठित कर कार्य पर जून 2018 तक रु **142.05 लाख** का व्यय किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त **रु. 218.20 लाख** का व्यय यूटिलिटी शिफ्टिंग पर भी किया गया था। वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण कार्य स्वीकृति के 06 वर्ष बाद भी पूर्ण नही किया जा सका था।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड द्वारा इस सम्बन्ध मे अवगत करवाया कि यह मार्ग वनभूमि अधिनियम 1980 लागू होने से पूर्व लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित

था तथा यह मार्ग प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल के स्वामित्व मे था। मार्ग पर ROW के अंतर्गत संबन्धित खण्ड द्वारा निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य कराये जा रहे थे एवं वन भूमि पर स्वामित्व लो0नि0वि0 का होने के कारण कार्य कराया गया। वनभूमि के निराकरण हेतु पत्रावलियाँ गठित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूर्व मे मार्ग *सिंगल लेन मे (3 मीटर चौड़ाई)* निर्मित था, जबकि उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तृतीय चरण (USRIP-3) के अन्तर्गत *दो लेन मे मार्ग (7 मीटर चौडाई)* का सुद्र्ढ़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था, जिसकी अनुमति वन विभाग से नही ली गयी तथा वनभूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, जिसके कारण कार्य पर ` 142.05 लाख के व्यय एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग पर रु. 218.20 लाख के परिहार्य व्यय के बावजूद कार्य स्वीकृति के 06 वर्ष बाद भी अपूर्ण था तथा उक्त कार्य हेतु एडीबी द्वारा वाह्य सहायतित वित्त पोषित योजना के लोन की अवधि भी दिसम्बर 2017 को समाप्त हो चुकी थी एवं न ही मार्ग हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक वन भूमि का निराकरण नही हो पाया था ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
21/2011-12	1,2,3	--
45/2012-13	1,2,3	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			Para placed in this AIR, as para one of IIA, is an uploaded para of last AIR (AIR-59/2016-17) उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा बताया गया है कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के संस्तुति के पश्चात कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी। अत: विगत अनिस्तारित प्रस्तर, उपरोक्त के अतिरिक्त , यथावत रखा जा सकता है ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

2. **सतत् अनियमितताएः** .....

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
(i)	श्री शरद कुमार बिरला	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

....

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक(PMU), ए.डी.बी.(Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II